

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3(1)98 / कार्मिक / प्रमुवस / 07839 /

दिनांक :

निमित

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रितपालक / कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त / ट्री राजस्थान, जयपुर ।

2. परियोजना निदेशक आर.एफ.बी.मी. जयपूर।

3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना राजस्थान, जयपुर।

4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।

मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।

6. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।

7. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर) / सरिस्का 'अलवर) / मुकन्दरा' (कोटा)।

8. मुख्य वन संरक्षक वनवर्धन, जयपुर/आर.वी.पी, कोटा/एफ.पी.आर.पी, जयपुर।

9. निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर / मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर / निदेशक परिचालन राजस्थान वन विकास निगम लिमिटेड जयपुर।

विषय: – महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठित आंतरिक शिकायत समितियों की अद्यतन सूचना भिजवाने बाबत।

संदर्भ :- विशेषाधिकारी, वन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प 09 (13)वन/2014 दिनांक 10.06.2019

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत विशेषाधिकारी, वन विभाग ने संदर्भित पत्र द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठित आंतरिक शिकायत समितियों की अद्यतन सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित कार्यालय स्वयं के कार्यालय की एवं क्रम संख्या 5 से 9 पर अंकित कार्यालय अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (उप वन संरक्षक / वन बन्दोबस्त अधिकारी / कार्य आयोजना अधिकारी) की संकलित सूचनायें निम्न प्रपत्र में दिनांक 16.08.2023 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करावे :--

1. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठित आंतरिक शिकायत समितियों की वार्षिक रिपोर्ट : (ant anno an at anno an)

(44 2019—20											
क्र.	वर्ष	जिला	कार्यस्थल	लैंगिक	ऐसी	ऐसे मामलों	लैंगिक उत्पीड़न	नियोक्ता / प्रतिष्ठान / विभाग			
सं.			का नाम	उत्पीड़न के	शिकायतों की	की संख्या जो	के विरूद्ध	द्वारा की गई कार्यवाही का			
			और पता	संबंध में प्राप्त	संख्या	90 दिन से	क्रियान्वित	स्वरूप			
				शिकायतों की	जिनका	अधिक अवधि	कार्यशालाओं या				
				संख्या	निस्तारण	तक लम्बित है	जागरूता				
*1					किया गया		कार्यक्रमों की				
							संख्या				

2. Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 The details of all the Internal Committees constituted in your Department in the following format:

Inform	Information about Internal Committees in Regards to Sexual Harassment at Workplace Act, 2013											
S.No.	Name of	Total	No. and date of	No. of Members in	No. of	Whether	Whether	Nodal	Other			
	Department	Employees			women	Chairperson is	NGO	Officer	information			
	/Office/		relevant	the	Members	a Woman	Represent at	Name				
	Organization	35.	orders	Committee			live	and No.				
			issued				included					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

Please attach the order copy of Internal Committee.

Signature valid

Digitally signed by Anii Banerjee Designation Princip Conservator For 1:40:25 IST Date: 2023.08.10

Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 4466999



नोट :- 1. उपरोक्त सूचनाएँ बिन्दुवार पृथक-पृथक तैयार करें।
2. समस्त कार्यालय स्पष्ट, पठनीय पूर्ण वांछित सूचना परीक्षण करने के उपरांत ही इस कार्यालय को प्रेषित करें। अधीनस्थ कार्यालयों के अनावश्यक पत्रों को संलग्न नहीं करें।

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 3(1)98/कार्मिक/प्रमुक्स/07839/ 3195-3308 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक :

1. समस्त उप वन संरक्षक / कार्य आयोजना अधिकारी / वन बन्दोबस्त अधिकारी / भू—संरक्षण अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपर दिये गये निर्देशों के अनुसार सूचना अपने नियंत्रण अधिकारी को निर्धारित समयाविध में प्रस्तुत करें। पत्र की प्रति इस कार्यालय को

1 2 उप वन संरक्षक,सूचना एवं प्रोद्योगिकी को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता) उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.) प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Ami Banerjee Designation Pring Chief Conservator Date: 2023.08.

1:40:25 IST

Reason: Approve

RajKaj Ref No.: 4466999

